

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/28/2015/19/यो 7796
प्रति,

भोपाल दिनांक 23/12/2015

✓ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 124वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 124वीं बैठक जो दिनांक 15.09.2015 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार निम्नलिखित कार्यों की दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	मार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	रतलाम	24/5054	सरवन ग्राम में सीमेंट कांक्रीट मार्ग का निर्माण बी - 1018	1.30	148.27
2	रतलाम	24/5054	सरवन से डागराघाटी मार्ग बी - 1019	2.30	124.59
3	रतलाम	24/5054	सेमलखेड़ा सकरावदा मार्ग बी - 1020	2.30	128.09
4	रतलाम	24/5054	शिवगढ़ से अजीतपुर एवं सोनगढ़ मार्ग बी - 1021	4.00	209.84
5	झाबुआ	42/5054	टिकड़ी जोगी से साजेड़ी व्हाया पिपलीपाड़ा मार्ग बी - 1179	9.62	843.88
6	अलीराजपुर	42/5054	चिकली सालखेड़ा से खेड़ी भीमपुरा पहुंच मार्ग बी - 1003	8.80	531.60
7	अलीराजपुर	42/5054	खट्टाली डाबड़ी फलिया मार्ग बी - 1003	6.00	323.43
8	अलीराजपुर	42/5054	खट्टाली डाडिया फलिया मार्ग बी - 1003	2.00	114.22
9	अलीराजपुर	42/5054	उण्डारी उत्ती मार्ग बी - 1003	2.00	114.40
10	अलीराजपुर	42/5054	देहदला चमारबेगड़ा मार्ग बी - 1003	2.45	131.66
11	अलीराजपुर	42/5054	ओझड़ थोड़सिंधी मार्ग बी - 1148	6.70	511.44
12	अलीराजपुर	42/5054	ओझड़ मोराजी मार्ग बी - 1148	3.70	250.87
13	अलीराजपुर	42/5054	सोलिया से बोकडीया फलिया मार्ग बी-1148	4.60	316.89
14	अलीराजपुर	42/5054	उण्डवा काठी खण्डाला मार्ग बी-1148	5.50	447.34

2/ उक्त कार्यो हेतु वर्ष 2015-16 के तृतीय अनुपूरक बजट में माँग संख्या 24/5054 एवं 42/5054 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। कार्यो हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किये जाते है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकताये पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावे, तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।


3/ उपरोक्त कार्यो हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावें।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यो को वेबसाईड पर डाले जाये।
(सचिव, लो०नि०वि० द्वारा अनुमोदित)

सहपत्र:-14 प्राक्कलन

म०प्र० के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(एस० के० कुलकर्णी)

उप सचिव

म०प्र० शासन लो०नि०वि०


भोपाल दिनांक 23/12/2015

पृ० क्रमांक एफ-43/28/2015/19/यो 7797

प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य अभियंता, (उज्जैन परि०) लोक निर्माण विभाग उज्जैन।
- 2- मुख्य अभियंता (पश्चिम परि०) लोक निर्माण विभाग इन्दौर।
- 3- निज़ सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, को सूचनार्थ (केवल क्रमांक 03 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:-शून्य



उप सचिव

म०प्र० शासन लो०नि०वि०

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/28/2015/19/यो 7991

भोपाल दिनांक 31/12/2015

प्रति,

✓ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 124वीं बैठक।
(झाबुआ जिले के अंतर्गत खेरमाल समोई जुनागांव देवलफलिया मार्ग बी- 1178)

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा प्राक्कलन परीक्षण समिति तथा स्थायी वित्तीय समिति की 124वीं बैठक जो दिनांक 15.09.2015 को प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार झाबुआ जिले के अंतर्गत खेरमाल समोई जुनागांव देवलफलिया मार्ग बी- 1178 मार्ग निर्माण कार्य के लिये जिसकी लागत रुपये 442.50 लाख (रु0 चार करोड़ बयालीस लाख पॉचस हजार) केवल से अधिक न हो की योजना मद के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2/ उक्त कार्य हेतु वर्ष 2015-16 के बजट में माँग संख्या 42/5054 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराया जावे। कार्य हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किया जाता है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराया जावे, तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।

3/ उपरोक्त कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावे।

4/ उक्त स्वीकृत कार्य को वेबसाईड पर डाला जाय।
(प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित)

सहपत्र:-01 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)

सचिव

म0प्र0 शासन लो0नि0वि0

भोपाल दिनांक 31/12/2015

पृ0 क्रमांक एफ-43/28/2015/19/यो 7992
प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य अभियंता, (पश्चिम परि0) लोक निर्माण विभाग इंदौर
- 2- अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग इंदौर मण्डल इंदौर।
- 3- कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग झाबुआ।
- 4- निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, को सूचनार्थ (केवल क्रमांक 04 के लिये) तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:- शून्य

म0प्र0 शासन लो0नि0वि0